

कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—: प्रारम्भिक अधिसूचना :-

क्रमांक / 17911 / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक 20/12/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	दीपका	बिरदा/55	16/12	0.810	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.) कोरबा संभाग कोरबा	हरदीबाजार-तरदा -सर्वमंगला- इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी. सी. मार्ग का निर्माण कार्य।
			45/5	0.004		
			50/1	0.089		
			50/2	0.045		
			50/3	0.004		
			50/4	0.030		
			51/3	0.157		
			51/6	0.008		
			51/9	0.076		
			51/10	0.0540		
			52/1	0.035		
			181/1	0.111		
			186/5	0.012		
			186/6	0.061		
			52/3	0.024		
			187/1	0.184		
			199/5	0.032		
			199/16			
			199/23	0.069		
			199/14			
187/8	0.046					
197/1	0.101					
199/17	0.021					

Sehil

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

			189/3	0.690		
			189/4	0.100		
			195/2	0.008		
			195/7	0.030		
			191/1	0.146		
			188/2	0.042		
			188/5	0.021		
			188/1	0.042		
			195/1	0.096		
			195/5	0.040		
			योग 33	3.188		

- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Lehil
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

l
(अजीत चसंत)
कलेक्टर, कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग